न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

प्रकरण संख्या : अपील/डिक्री/टीए/601/2006/डूंगरपुर

हरिसिंह पुत्र शम्भूसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम खापरडा तहसील व जिला डूंगरपुर

....**अपीलार्थी/वादी**

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार डूंगरपुर।

....**प्रत्यर्थी/प्रतिवादी**

खण्ड पीठ
श्री प्रवीण गुप्ता, सदस्य
श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य

उपस्थितः–

श्री पूर्णाशंकर दशोरा, अधिवक्ता, अपीलार्थी
श्रीमती पूनम माथुर, अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता, सरकार

निर्णय

दिनांकः– 24–06–2019

हस्तगत् द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 (संक्षेप में 'अधिनियम') के तहत भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर द्वारा अपील सं. 142/2004 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21–10–2005 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डूंगरपुर के समक्ष अपीलार्थी/वादी ने एक वाद अन्तर्गत अधिनियम की धारा 88, 92–ए व 188 बाबत मौजा खापरडा स्थित

विवादित आराजियात खसरा संख्या 5, 6, 7, 8 के संबंध में विरूद्ध प्रतिवादी लैण्ड होल्डर तहसीलदार डूंगरपुर के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रतिवादी राज्य सरकार ने उक्त वाद पत्र का जवाबदावा पेश किया, जिसमें यह अंकन किया गया कि विवादित आराजियात रेकार्ड में बिलानाम होने से उस पर किया गया कब्जा अतिक्रमण की श्रेणी में आता है, तदनुसार वाद/वादी खारिज किया जावे। वाद व जवाबदावे के आधार पर विचारण न्यायालय ने अनुतोष सहित 3 विवाद्यक कायम किए तथा प्रत्येक विवाद्यक को पृथक-पृथक विरचित करते हुए निर्णय व डिक्री दिनांक 27-01-2004 द्वारा वादी के वाद को खारिज कर दिया। उक्त निर्णय व डिक्री से अप्रसन्न होकर अपीलार्थी/वादी ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी उदयपुर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की। अपीलीय न्यायालय के समक्ष राज्य पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने के कारण न्यायालय ने एकपक्षीय निर्णय व डिक्री दिनांक 21-10-2005 द्वारा अपीलार्थी/वादी की अपील खारिज करते हुए उपखण्ड अधिकारी डूंगरपुर का निर्णय व डिक्री दिनांक 27-01-2004 को यथावत रखा। अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 21-10-2005 से व्यथित होकर अपीलार्थी/वादी ने यह हस्तगत द्वितीय अपील राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की हैं

3. हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी/प्रतिवादी ने बहस में कहा कि विचारण न्यायालय ने वाद व जवाबदावे के आधार पर तीन तनकीयात कायम की, किन्तु उक्त तनकियों को उपलब्ध रेकार्ड के आधार पर परीक्षण नहीं किया तथा यही नहीं अपीलीय न्यायालय ने कायम की गयी तनकियों बाबत अपना बिना अभिमत दिए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किया है। इस प्रकार अपीलीय न्यायालय ने आदेश 41 नियम 31 के विधिक प्रावधानों के विपरीत आक्षेपित निर्णय पारित किया है। उनका आगे कहना है कि विवादित आराजियात राजधानी जंगल के नाम से जानी जाती है तथा आराजी का कभी भी सर्वे या बंदोबस्त नहीं हुआ। आगे बताया कि वर्ष 1984 में किए गए प्रथम सर्वे से पूर्व ही दिनांक 15-09-1965

को महाराज राजसिंह डूंगरपुर ने वादी को आराजी बख्शीश में दी थी तथा बख्शीशनामा निष्पादित कर 45 बीघा भूमि दे दी गई। उक्त भूमि धारा 30–बी के तहत हस्तान्तरण को वैध घोषित करते हुए सीलिंग से मुक्त की गई। कालान्तर में भाई बंटवारे के आधार पर विवादित आराजी वादी के नाम दर्ज नहीं कर बिलानाम गलत रूप से दर्ज कर दी गई। उनका तर्क है कि विचारण न्यायालय ने वादी द्वारा नक्शा पेश नहीं किए जाने के कारण तनकी संख्या 1 को उनके विरूद्ध निर्णित कर अनियमितता की है। यहीं नहीं आराजी पर कब्जे बाबत खसरा गिरदावरियों में अंकन है तथा वादी का ही कब्जा है। उनका यह भी तर्क है कि प्रदर्श–1 जो अपीलान्ट के पिता को 45 बीघा भूमि देने का पुख्ता प्रमाण है व अपीलान्ट की उक्त भूमि प्रदर्श–4 बताई गई है, जो नक्शे से आसानी से स्पष्ट होती है। इस प्रकार विचारण न्यायालय ने वाद में निर्मित समस्त विवाद्यको को वादी के खिलाफ निर्णित कर अवैधानिकता की है। अन्त में उन्होंने अपील स्वीकार कर भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी उदयपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21–10–2005 तथा उपखण्ड अधिकारी डूंगरपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27–01–2004 को निरस्त कर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को स्वीकार कर डिक्री जारी करने का निवेदन किया।

5. इसके विपरीत अतिरिक्त राजकीय ने अपनी बहस में कहा कि विवादित आराजियात राजस्व रेकार्ड में बिलानाम दर्ज है तथा कानूनन ऐसी भूमि का न तो नियमन ही किया जा सकता है तथा न ही किसी काश्तकार को खातेदारी अधिकार प्रदान किए जा सकते है। उनका आगे कहना है कि प्रकरण में वांछित पटवारी रिपोर्ट में स्पष्ट अंकन किया गया विवादित आराजियात सिवायचक भूमि है, जिस पर शम्भूसिंह ने अनाधिकृत कब्जा किया है। उक्त तथ्यात्मक एवं विधिक परिवेश में वादी के वाद को खारिज करने में विचारण न्यायालय ने किसी विधि का उल्लंघन नहीं किया है तथा अपीलीय न्यायालय ने भी आक्षेपित निर्णय व डिक्री से वादी की अपील की खारिज करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पुष्टि करने में किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं की है। सारांशतः मामले में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि के परिप्रेक्ष्य में उचित होने के कारण उसमें द्वितीय अपील

के स्तर पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है। तदनुसार प्रस्तुत द्वितीय अपील सारहीन होना प्रकट होने के कारण खारिज होने योग्य है। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत अपील को खारिज कर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

6. हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध समग्र रेकार्ड का गहन परीक्षण, दोनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बारीकी से मूल्यांकन किया।

7. विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डूंगरपुर के समक्ष अपीलार्थी/वादी ने एक वाद अन्तर्गत अधिनियम की धारा 88, 92–ए व 188 बाबत मौजा खापरडा स्थित विवादित आराजियात खसरा संख्या 5, 6, 7, 8 के संबंध में विरूद्ध प्रतिवादी लैण्ड होल्डर तहसीलदार डूंगरपुर प्रस्तुत किया। न्यायालय में उक्त वाद संख्या 50/2001 हरिसिंह बनाम लैण्ड होल्डर तहसीलदार डूंगरपुर संस्थित किया गया। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी राज्य सरकार ने उक्त वाद पत्र का जवाबदावा पेश किया, जिसमें यह अंकन किया गया कि विवादित आराजियात रेकार्ड में बिलानाम होने से उस पर किया गया कब्जा अतिक्रमण की श्रेणी में आता है, अतः तदनुसार वाद/वादी खारिज किया जावे। वाद व जवाबदावे के आधार पर विचारण न्यायालय ने अनुतोष सहित 3 विवाद्यक कायम किए तथा प्रत्येक विवाद्यक को पृथक–पृथक विरचित करते हुए निर्णय व डिक्री दिनांक 27–01–2004 द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया। उक्त निर्णय से अप्रसन्न होकर अपीलार्थी/वादी ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी उदयपुर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की। अपीलीय न्यायालय के समक्ष राज्य पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने के कारण न्यायालय ने एकपक्षीय निर्णय व डिक्री दिनांक 21–10–2005 द्वारा अपीलार्थी/वादी की अपील खारिज करते हुए उपखण्ड अधिकारी डूंगरपुर का निर्णय व डिक्री दिनांक 27–01–2004 को यथावत रखा।

8. पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि प्रदर्श–11 रिपोर्ट पटवारी हल्का में इस आशय का अंकन है कि हरिसिंह

पुत्र शम्भूसिंह निवासी खापरडा ने सम्वत 2057 मौजा चक खापरडा–ा के खसरा संख्या 5, 6, 8 जो कि सिवायचक जमीन है, जिस पर उनके द्वारा अनाधिकृत कब्जा किया है, इसके लिए इनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जावें। पटवारी रिपोर्ट में किए गए उक्त अंकन के परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि विवादित आराजियात सिवायचक भूमि होकर उस पर वादी ने अनाधिकृत कब्जा किया है। अतः प्रथम दृष्टया यह प्रमाणित होता है कि विवादित आराजी राजकीय भूमि है। उक्त पटवारी रिपोर्ट राजकीय सेवक द्वारा तैयार की गई है, इस कारण हस्तगत मामले में एक महत्वपूर्ण राजकीय प्रलेखीय साक्ष्य है, जिस पर अविश्वास करने का कोई अकाट्य प्रमाण हमारे समक्ष उपलब्ध नहीं है। साराशंतः उपलब्ध रेकार्ड के आधार पर विवादित आराजी स्पष्ट रूप से सिवायचक भूमि होना परिलक्षित होती है। विधि के अनुसार किसी भी सिवायचक भूमि पर किसी काश्तकार द्वारा अनाधिकृत कब्जा किए जाने के कारण वह अतिक्रमी की श्रेणी में माना जायेगा तथा ऐसे अतिक्रमी के विरूद्ध नियमानुसार बेदखली की कार्यवाही करने का प्रावधान है। रेकार्ड में उपलब्ध स्वतंत्र गवाह सूर्यवीरसिंह पिता अमरसिंह ने अपने बयान में उद्धरित किया है कि यह सही है कि रेकार्ड में यह जमीन बिलानाम दर्ज है। इसी प्रकार कृष्णचन्द्र पिता अमृतलाल ने भी अपने बयानों में यहीं कथन उद्धरित किया है।

9. प्रकरण के पूर्ण विवेचन हेतु विचारण न्यायालय द्वारा निर्मित्त तनकी संख्या 1 महत्वपूर्ण है, जिसमें न्यायालय ने अंकन किया कि बख्शीशनामा में यह लिखा गया है कि डूंगरपुर–वीरपुर सडक के उत्तरी दिशा में माफिक संलग्न नक्शा आपको बख्शीश करता हूॅ, लेकिन वादी द्वारा वाद पत्र के साथ या बाद में सुनवाई के दौरान ऐसा कोई नक्शा पेश नहीं किया है, अतः वादी यह साबित करने में विफल रहा है कि वाद भूमि खसरा संख्या 5, 6, 7, 8 वहीं भूमि है जो उसके पिता को बख्शीश में दी गई। वादी द्वारा बंदोबस्त विभाग या अन्य कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है जो वादी के दावे को साबित कर सके। तदनुसार विचारण न्यायालय ने तनकी संख्या 1 को वादी द्वारा साबित नहीं होना प्रकट किया। हमारी विनम्र राय में उपलब्ध रेकार्ड के अनुसार उक्त महत्वपूर्ण तनकी को निर्णित करने में न्यायालय ने किसी प्रकार की

अनियमितता किया जाना नहीं पाया जाता है। तदनुसार विचारण न्यायालय ने तनकी संख्या 2 व 3 को भी विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचित किया है। सम्पूर्ण रेकार्ड के अवलोकन के पश्चात हम पाते है कि वादी के वाद को खारिज करने में विचारण न्यायालय ने किसी विधि का उल्लंघन नहीं किया है। अतः विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि सम्मत पायी जाती है।

10. उक्त विधि सम्मत निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थी ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रथम अपील पेश की है, जिसमें किए गए विवेचन को अन्यथा सिद्ध करने हेतु अपीलार्थी/वादी ने उनके समक्ष कोई नये तथ्य पेश नहीं किए, इस कारण अपीलीय न्यायालय ने अपीलार्थी की अपील को आक्षेपित निर्णय से अस्वीकार कर विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री की पुष्टि की है। साराशंतः हस्तगत मामले में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के विधि सम्मत निष्कर्ष है, जिसमें द्वितीय अपील के स्तर पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। हमारे समक्ष अपीलार्थी पक्ष ने आक्षेप उठाया है कि हस्तगत प्रकरण में विचारण न्यायालय ने विवाद्यकवार अपना निर्णय पारित किया है, जबकि अपीलीय न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय विवाद्यकवार पारित नहीं किया है, इस कारण अपीलीय न्यायालय ने आदेश 41 नियम 31 सीपीसी के उल्लेखित प्रावधानों का उल्लंघन किया है। इस संबंध में यहां यह उल्लेंख करना समीचीन है कि यदि किसी मामले में विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के विपरीत यदि अपीलीय न्यायालय द्वारा निष्कर्ष दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में आदेश 41 नियम 31 सीपीसी के प्रावधानों का उल्लंघन माना जाता है। परन्तु हस्तगत मामले में अपीलीय न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से सहमत होते हुए आक्षेपित निर्णय पारित किया है, इस कारण अपीलार्थी का इस बाबत लिया गया आक्षेप निराधार है।

11. हस्तगत प्रकरण में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने समवर्ती निष्कर्ष अंकित किए है। विधि सम्मत समवर्ती निर्णयों के संबंध में विभिन्न उच्चतर न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त निम्न प्रकार से हैः–

2009 डीएनजे एससी पेज 385 "Excercising jurisdiction under section 100 CPC - interference in finding of facts without formulating the substantial question of law is illegal."

एआईआर 2001 एससी पेज 2282 "CPC Sec 100 - The finding of fact recorded by the first appellate court based on evidence could not be interfered with by the High Court that too in the absence of any substantial question of law that arose for consideration between the parties."

एआईआर 2002 पेज 2849 "on perusal of the judgment of the High Court and on consideration of the matter we do no find that the judgment suffers from any serious illegality or infirmity which calls for interference in the appeal filed by special leave".

उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तों के द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार द्वितीय अपील के स्तर पर जब तक हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि यह सिद्ध नहीं हो कि कोई विधिक त्रुटि कारित की गई हो। हस्तगत प्रकरण में हमारी राय में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने कोई विधिक त्रुटि कारित नहीं की है, इसलिए दोनों के समवर्ती निर्णयों में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है।

12. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रस्तुत अपील निरस्त कर दोनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों को यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

13. परिणामतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील सारहीन होने के कारण निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी उदयपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21-10-2005 एवं उपखण्ड अधिकारी डूंगरपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27-01-2004 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार नाग)
सदस्य

(प्रवीण गुप्ता)
सदस्य